

17/3/25

उपय फन 34.7 इस न्यायालय हारा दिनांक 19.03.2025 को  
आदेशा वारिण फड मूल पाउ पुः लखर पर लेने का आदेश  
दिना गमा हें। मूल फ्वाफली रिफरि रम से जाण ले उगी हें।  
अतः यह फ्वाफली नंवर से फय लेबर मूल जाफा के संलग्न  
रखी जावे।

आदेशा सुनाम गमा।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ (राज.)



GCMG  
2025/172